कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, फिरोजाबाद।

विज्ञप्ति

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र सं०-1928/S.F.C.M Cell /Lucknow, Dated:28-02-2026 के अनुपालन में उत्तर प्रदेश के शासनादेश संख्या- 102/सात- न्याय-2-2015-728/86 दिनांकित 18-06-2015 के अधीन परिवार न्यायालय फिरोजाबाद में **दो परामर्शदाताओ** की आबद्धता के सम्बन्ध में निम्न लिखित प्रकिया के अधीन आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाते है।

1- शैक्षिक अर्हता हेतु यह ध्यान रखा जायेगा कि अर्ह व्यक्ति समाजशास्त्र या मनोविज्ञान में से किसी एक विषय में स्नातक की डिग्री रखता हो और उसे समाज सेवा का अनुभव हो। जो व्यक्ति सामाजिक कार्य में मास्टर डिग्री धारक है और पारिवारिक कौन्सिलिंग में जिन्हे दो वर्ष का अनुभव है उन्हे वरियता दी जायेगी।

2- विज्ञापन के समय परामर्शदाता की आयु 35 से 65 के बीच होनी चाहिए।

3- यह प्रयास किया जायेगा कि व्यक्ति उसी जिले से सम्बन्धित हो जहां पर पारिवारिक न्यायालय स्थित हो। यदि इस तरह का कोई व्यक्ति नही मिलता है तो उस दशा में दूसरे जिले के लोगो को परामर्शदाता के रूप में नियुक्त करने में कोई बाधा नही है।

4- आवेदन-पत्र प्राप्त होने के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा इसकी स्क्रूटनी की जायेगी और यथा सम्भव एक पद के सापेक्ष पांच लोगों की सूची तैयार की जायेगी।

5 - राज्य सरकार से अर्ह परामर्शदाता की सूची प्राप्त होने पर माननीय उच्च न्यायालय, परिवार एवं बाल विकास से सम्बन्धित योग्य विशेषज्ञ से विचार करने के उपरान्त उनके नाम की संस्तुति राज्य सरकार से करेगी।

6- परामर्शदाता पद हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रेषित नामों के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय प्रत्येक नामों पर विचार करेगी। राज्य सरकार माननीय उच्च न्यायालय की संस्तुति के आधार पर अधिसूचना जारी करेगी।

7- परामर्शदाता का कार्यकाल प्रारम्भ में तीन वर्ष का होगा। माननीय उच्च न्यायालय की संस्तुति के आधार पर 03 वर्ष के लिये उसके नाम पर पुर्नविचार किया जा सकता है।

8-परामर्शदाता के पद पर नियुक्ति शासकीय सेवा में नियुक्त नही मानी जायेगी और वे न्यायालय से संविदा के आधार पर सम्बद्ध रहेगें।

उक्त प्रक्रिया के अन्तर्गत परामर्शदाता के आबद्धता हेतु इच्छुक अभ्यर्थी अपने आवेदन-पत्र (संलग्न प्रारूप पर) स्व प्रमाणित फोटो सहित **दिनांक 31-03-2026** तक प्रधान न्यायाधीश,परिवार न्यायालय, फिरोजाबाद के प्रशासनिक कार्यालय, में अनिवार्य रूप से **शाम 05:00 बजे** तक उपलब्ध करा दें। इसके पश्चात प्राप्त कोई भी आवेदन-पत्र स्वीकार नही किया जायेगा।

16-03-2026

(अरविन्द कुमार सिंह-II)
प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय, फिरोजाबाद।

प्रतिलिपि-

1- परिवार न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
2- जनपद न्यायालय फिरोजाबाद के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
3- सिस्टम असिस्टेन्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, फिरोजाबाद (जिला न्यायालय E-Court की बेवसाइट पर अपलोड हेतु, जनपद न्यायाधीश की अनुमति से)।
4- प्रमुख समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशनार्थ (जिला सूचना अधिकारी)।
5- अध्यक्ष/ सचिव, जिला बार एसोशियेशन,फिरोजाबाद।

संलग्न- आवेदन पत्र का प्रारूप।

APPLICATION FOR THE POST OF COUNSELOR

Self Attested
Photo of Applicant

1. Full name of the Applicant (In Capital Letter) :..

2. Father's Name :..

3. Date of Birth :..

4. Home Town with address :..
....
....

5. Qualification :..

6. Designation with Present place of posting, if any :..

7. Experience (in details) :..
....

Date:....................................

Signature of Applicant